संख्या– 547/81–2–2021–79/1991

प्रेषक,

आर0पी0सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 31 मई, 2021

विषय– जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–2422/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/मिन/29061/2017, दिनांक 22.03.2021 एवं पत्र सं0–419/11–सी, दिनांक 20.08.2015 तथा शासन के पत्र सं0–2317/14–2–2015 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या मय अभिलेख सहित अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गयी उल्लंघन के संबंध में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अबतक की गयी दण्डात्मक कार्यवाही ।

संलग्नक–यथोक्त ।

Ad.SO
01/6/21

भवदीय,
(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव

अतिआवश्यक/तत्काल

PC.DATA D.K.P. **कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

पत्रांक–2805/11–सी– FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांकः जून 02 ,2021

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ शीध्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लि0, पो0–बीना प्रोजेक्ट, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 547/81–2–2021–79/1991

प्रेषक,

आर०पी०सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक** 31 **मई, 2021**

विषय– जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–2422/11–सी–एफ०पी०/यू०पी०/मिन/29061/2017, दिनांक 22.03.2021 एवं पत्र सं0–419/11–सी, दिनांक 20.08.2015 तथा शासन के पत्र सं0–2317/14–2–2015 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या मय अभिलेख सहित अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

Ad.SO

1. प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गयी उल्लंघन के संबंध में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अबतक की गयी दण्डात्मक कार्यवाही ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(आर०पी०सिंह)
अनु सचिव

PC.DATA D.K.P.

सं– 547/81-2-2021

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांकः–2422 /11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊः दिनांकः मार्च 22 ,2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी–26/81–2–2021–79/1991, दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने पत्रांक–3794/मी0क्षे0/33, दिनांक 05.03.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना/आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

23/3/21

Acy-361

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 3745/ मी0क्षे0/33/दिनांक,मीरजापुर, 05/03/2021

Ad.S.O.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021

2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में अनु सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ के संदर्भित पत्र दि0 22.02.2021 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0 2935/रेनुकूट/15–38, दिनांक 01.03.2021 **(छाया प्रति संलग्न है)** द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंघन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33

		दिनांक— 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या— 1571/11—सी—उल्लंधन दिनांक— 30.01.2014 व पत्र संख्या— 419/11—सी दिनांक— 20.08.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग—2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से **बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि, पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंधन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या—2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है**। उक्त उल्लंधन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3745 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2935/रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, 01–03–, 2021

सेवा में,

मुख्य वन सरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–22.02.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंघन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33

		वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंघन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 410/11–सी दिनांक– 20.08. 2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनिराम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि, पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या–2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । उक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 3745/ मी0क्षे0/33/दिनांक,मीरजापुर, 05,03, 2021

Ad.S.O.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

CF/nodal
17/03/21

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 186.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में अनु सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ के संदर्भित पत्र दि0 22.02.2021 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0 2935/रेनुकूट/15–38, दिनांक 01.03.2021 **(छाया प्रति संलग्न है)** द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंधन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33

		दिनांक— 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या— 1571/11—सी—उल्लंघन दिनांक— 30.01.2014 व पत्र संख्या— 419/11—सी दिनांक— 20.08. 2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग—2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से **बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या—2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है** । उक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3745 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2938/रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, 01 – 03 – , 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– पी0 26/31–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 22.02.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2128/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–22.02.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी0 26/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक–22.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या /संस्तुति प्राप्त नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा पूर्व में भी संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है तथा पुनः संस्तुती की जाती है ।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के विपरीत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य एजेंसियो को दिये जाने के विरूद्ध उल्लंघन का प्रकरण प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33

		वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंघन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08. 2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस बिन्दु के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है ।
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से बिल्कुल अलग 19.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित की गयी जिसका प्रकरण बिन्दु संख्या–2 के अनुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । उक्त उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

02/3/21

1620
33
3-2021

शीर्षप्राथमिकता
संख्या–2317 / 14–2–2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर, 2015

विषय– नार्दन कोल फील्ड्स लि0 को अभिवहन शुल्क के रूप में बकाया धनराशि रू0–3716921066.00 की देयता के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि रू0–3556765844.00 के अनुक्रम में गैरवानिकी प्रयोग हेतु वनभूमि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0–1030–2–07–500(5)/2014 दिनांक 27.07.2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 19.08.2015 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या शासन में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक आख्या शासन में प्राप्त नहीं हुई है। कृपया सुस्पष्ट आख्या शासन को दिनांक 02.09.2015 को अपरान्ह 5:00 बजे तक पत्रवाहक के माध्मय से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण भारत सरकार के लम्बित सन्दर्भो एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन में लम्बित सन्दर्भो से अच्छादित है। अतः शीर्षप्राथमिकता के आधार पर आख्या उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

2317/14-218

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 419 /11-C , दिनांक, लखनऊ, अगस्त 20 , 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : नार्दन कोल फिल्ड लि0 की कृष्णशिला एवं बीना विस्तार परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर का पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दि0 20.08.2015

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दिनांक 20.08.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक-760/रेनुकूट/15, दिनांक 18.08.15 की प्रति संलग्न करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 20/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / , दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापर मण्डल, मीरजापुर।

पत्रांक– 880 /मी॰/22/33 दिनांक, लखनऊ, अगस्त 20-8, 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय : नार्दन कोल फिल्ड लि0 की कृष्णाशिला एवं बीना विस्तार परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक–760/रेनुकूट/15, दिनांक 18.08.15 द्वारा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी एक प्रति एतत्सह संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर।

पत्रांक– / , दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)
पत्रांक– 760 /रेनुकूट/15 दिनांक,रेनुकूट,अगस्त– 18 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
17 राणा प्रताप मार्ग
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषयः– नार्दन कोल फिल्ड लि0 की कृष्ण शिला एवं बीना विस्तार परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– आपका दूरभाष संदेश दिनांक– 18.08.2015

महोदय,

संदर्भित दूरभाष संदेश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या/अद्यतन स्थिति निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित है :–

1. एन.सी.एल.कृष्णशिला परियोजना को ,235.99 हे. वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति । :–

जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत, नार्दन कोल फील्डस लि. की कृष्णशिला परियोजना द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि हस्तान्त्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है कि " नार्दन कोल फील्डस लि. की कृष्णशिला परियोजना हेतु वांछित 235.99 हे. वन भूमि के खनन कार्य हेतु अवमुक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली समस्त शर्ते नार्दन कोलफील्डस लि. को मान्य होगी"। नार्दन कोल फील्डस लि. द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव/प्रमाण पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या– 8–64/2004–एफ.सी. दिनांक– 06.07.2006 एवं उ.प्र. सरकार ने अपने आदेश संख्या–1030/14–2–07– 500(5)/2004 दिनांक– 27.07.2007 द्वारा 235.99 हे. वन भूमि 31(एकतीस) शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी । उक्त अनुमति आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का एन.सी.एल.द्वारा शासनादेश की तिथि से वर्ष 2009–10 तक वार्षिक लीज रेंट की निर्धारित धनराशि रू. 12423015.00 प्रति वर्ष की दर से विना आपत्ति के साथ जमा किया गया, तथा वर्ष 2010–11 के लीज रेंट की निर्धारित धनरांशि रू. 12423015.00 का बैंक ड्राफ्ट जनरल मैनेजर नार्दन कोल फ़ील्डस लि. की कृष्णशिला परियोजना ने अपने पत्र संख्या– 79 दिनांक– 23.07.2010 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के कार्यालय में इस आपत्ति के साथ जमा किया गया है कि, "प्रश्नगत वन भूमि भारत सरकार द्वारा कोल वियरिंग एक्ट 1957 के तहत

अधिग्रहित करते हुए नार्दन कोल फील्डस लि. को कोयला खनन हेतु प्रदान की गयी है जिसके कारण लीज रेंट की धनराशि नियमानुसार देय नही है ।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार नार्दन कोल फील्डस लि. द्वारा लीज रेंट की निर्धारित धनराशि जमा करते हुए आगे की अवधि में लीज रेंट की देयता न देने हेतु एकपक्षीय रूप से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 50320/2010 तथा पट्टाविलेख न देने हेतु याचिका संख्या– 33050/2010 दाखिल किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दाखिल लीज रेंट से संबंधित याचिका संख्या– 50320/2010 की सुनवायी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक– 16.01.2013 को की गयी और याचिका उ0प्र0 सरकार के विरूद्ध निर्णित करते हुए आगे की अवधि में लीज रेंट जमा करने से छूट प्रदान करते हुए वर्ष 2010–11 की जमा लीज रेंट धनराशि रू. 12423015.00 (एक करोड़ चौबीस लाख तेईस हजार पन्द्रह मात्र) को वापस या समायोजन करने का भी निर्देश दिया गया । पट्टाविलेख संबंधी दाखिल रिट याचिका संख्या– 33050/2010 आज की तिथि में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा लीज रेंट संबधी रिट याचिका संख्या– 50320/2010 में पारित निर्णय दिनांक– 16.01.2013 के विरूद्ध वन विभाग उ.प्र. सरकार द्वारा राजस्व एवं न्यायहित में माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल. पीसंख्या–22793/2013 दाखिल किया गया है । जो कि आज की तिथि में अपील सिविल नं. 7614/2014 में परिवर्तित हो चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । एन.सी.एल. कृष्णशिला परियोजना के विरूद्ध वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक का रू. 1,24,23,015.00 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षो का <u>रू. 6,21,15,075.00</u> (रू. छः करोड़ एक्कीस लाख पन्द्रह हजार पचहत्तर मात्र) बकाया है जो कि आज तक जमा नहीं की जा रही है ।

<u>2. एन.सी.एल.बीना परियोजना की , 21.61 हे. वन भूमि के संबंध में । :–</u>

जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत, नार्दन कोल फील्डस लि. की बीना परियोजना द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र उ.प्र. लखनऊ ने अपने आदेश संख्या– 8बी/यू.पी./05/11/2004/एफ.सी./869 दिनांक– 01.06.2006 एवं उ.प्र. सरकार ने अपने आदेश संख्या–एम.एस. 32/14–2–07– 500(4)/2004 दिनांक– 27.07.2007 द्वारा 21.61 हे. वन भूमि 22(बाईस) शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । उक्त अनुमति आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का एन.सी.एल.द्वारा शासनादेश की तिथि से वर्ष 2011–12 तक वार्षिक लीज रेंट की निर्धारित धनराशि रू. 3,24,150.00 प्रति वर्ष की दर से जमा करते हुए आगे की अवधि में लीज रेंज न जमा करना पड़े इस हेतु इससे छूट प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 50320/2010 दाखिल किया गया था जिसको की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक– 16.01.2013 को निर्णित

करते हुए आगे की अवधि में लीज रेंट जमा करने से छूट प्रदान करते हुए वर्ष 2010–11 की जमा लीज रेंट धनराशि को वापस या समायोजन करने का भी निर्देश दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक– 16.01.2013 के विरूद्ध वन विभाग उ.प्र. सरकार द्वारा राजस्व एवं न्यायहित में माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पीसंख्या–22793/2013 दाखिल किया गया है जो कि आज की तिथि में अपील सिविल नं. 7614/2014 में परिवर्तित हो चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

एन.सी.एल. बीना विस्तार परियोजना के विरूद्ध वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक का रू. 3,24,150. 00 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षो का रू. 12,96,600.00 (रू. बारह लाख छियानवे हजार छ: सौ मात्र) बकाया है जो कि आज तक जमा नही की जा रही है ।

3. एन.सी.एल.की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा बकाया अभिवहन शुल्क की धनराशि जमा करने के संबंध में अद्यतन स्थिति ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लीज रेंट से संबंधित एस.एल.पी. के विचाराधीन रहते हुए, सचिव उ.प्र.शासन वन अनुभाग–2 ने अपने आदेश संख्या– 3153/14–2–2014–405(03)/2013 लखनऊ दिनांक– 23.09.2014 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि,–

(1) नार्दन कोल फील्डस लि.(एन.सी.एल.) द्वारा एक माह के अन्दर अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि दिनांक 21.01.1999 से 31.03.2012 तक रू. 371.70 करोड़ की बैठक गारण्टी वन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(2) बैक गारण्टी उपलब्ध कराने तक अन्तरिम रूप से एन.सीएल. की कृष्णशिला परियोजना को 20.00 हे. वन भूमि को गैर वानिक प्रयोग हेतु दे दिया जाय ।

उ.प्र. शासन द्वारा उक्त पत्र में उपरोक्तानुसार उल्लिखित अभिवहन शुल्क की वांछित धनराशि रू. 371.70 करोड़ एवं एन.सी.एल. द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराये गये सूचनाओं में अंकित धनराशि में भिन्नता होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि. से भिन्नता का कारण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त के कम में जेनरल मैनेजर कृष्णशिला परियोजना ने अपने पत्र संख्या– 652 दिनांक– 27.12.2014 द्वारा अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि में हुए भिन्नता संबंधी रिपोर्ट की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए 20.00 हे. वन भूमि कृष्णशिला परियोजना हेतु अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया । एन.सी.एल. द्वारा उक्त 371.70 करोड़ के सापेक्ष दिनांक– 01.07.2015 तक निम्न विवरण के अनुसार वन विभाग को अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि रेनुकूट वन प्रभाग में जमा की गयी है :–

क. सं0	परियोजना का नाम जिसके द्वारा अभिवहन शुल्क की धनराशि जमा की गयी	अभिवहन शुल्क की धनराशि	जमा की गयी अभिवहन शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक

1	एन0सी0एल0कृष्णशिला परियोजना	1,68,44,265.00	972756 / 22.09.14
		32,56,186.00	973079 / 13.10.14
		36,03,644.00	973574 / 13.11.14
		18,83,425.00	850636 / 15.01.15
		7,52,79,115.00	976553 / 01.07.15
		25,38,38,685.00	244251 / 30.07.15
2	एन0सी0एल0बीना परियोजना	29,90,248.00	972557 / 22.09.14
		40,79,003.00	973236 / 21.10.14
		1,54,93,058.00	973575 / 13.11.14
		72,45,17,810.00	976554 / 01.07.15
		34,34,20,863.00	244257 / 30.07.15
4	एन0सी0एल0दुद्धी चुआँ परियोजना	29,10,00,049.00	125464 / 22.09.14
		50,00,000.00	125465 / 23.09.14
		4,01,86,037.00	125912 / 30.06.15
		25,46,61,319.00	125950 / 30.07.15
		28,31,944.00	125963 / 10.08.15
5	एन0सी0एल0ककरी परियोजना	72,73,39,447.00	244258 / 30.07.15
6	एन0सी0एल0 खड़िया परियोजना	79,27,72,690.00	244252 / 30.07.15
कुल योग–		3559597788.00	

शेष अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि (रू.3716921066–3559597788) रू. 15,73,23,278.00 आज की तिथि तक बकाया है जिसके संबंध में पूर्व में ही रू. 337,27,34,259 .69 (रू. तीनसौ सैतीस करोड़ सताईस लाख चौतीस हजार दो सौ उनसठ एवं उन्हत्तर पैसे मात्र) का बैंक गारण्टी नं. पी. 66 बीजीएफजी 150630001 जो कि सिंडीकेट बैंक, सिंगरौली द्वारा प्रमुख सचिव वन विभाग उ.प्र. लखनऊ के पक्ष में दिनांक– 04.03.2015 को जारी किया गया है , जिसकी प्रति उ.प्र. शासन में जमा की गयी है , जो कि नियमानुसार रेनुकूट वन प्रभाग में जमा होना चाहिए था, क्योंकि रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित प्राप्त राजस्व को भारतीय स्टेट बैंक राबर्टसगंज शाखा में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए प्रभाग के लेखा में लेते हुए प्रतिमाह लेखा उच्च स्तर को प्रेषित की जाती है ! इस प्रकार उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार बैंक गारन्टी जमा होने के पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या– 2734 / रेनुकूट / 15–71 दिनांक– 31.12.2014 द्वारा

कृष्णशिला परियोजना हेतु 20.00 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गयी है । वर्तमान समय तक 235.99 हे. के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार वन भूमि एन.सी.. एल. को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

(क) पत्र संख्या– 3093/रेनुकूट/15 दिनांक– 01.02.2008 द्वारा 27.141 हे.
(ख) पत्र संख्या– 3968/रेनुकूट/15 दिनांक– 09.04.2008 द्वारा 60.00 हे.
(ग) पत्र संख्या– 2734/रेनुकूट/15 दिनांक– 31.12.2014 द्वारा 20.00 हे.
सम्पूर्ण योग–107.141 हे.

हस्तान्तरित करने हेतु अवशेष वन भूमि 235.99 हे. – 107.141 हे. = 128.849 हे.

3.वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 का उल्लंधन –

नार्दन कोल फिल्ड्स लि0 ककरी परियोजना द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 में विज्ञापित 18.2608 एकड़ वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना निजी कम्पनियों को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गयी है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंधन है । उल्लंधन का प्रकरण मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक 30.01.2014 द्वारा प्रमुख सचिव (वन), उ0 प्र0 शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है।

इस प्रकार नार्दन कोल फील्डस लि0 की कृष्णशिला परियोजना हेतु विलिन्न तिथियों में वन विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी 107.141 हे. वन भूमि के अतिरिक्त कोई भी वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण कराया जाना राजकीय हित में नियमानुसार होगा :–

(क) नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक बकाया लीज रेंट की वांछित धनराशि निम्न विवरण के अनुसार एवं पट्टाविलेख ज़मा किया जाय ताकि लीज रेंट से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील एवं पट्टाविलेख से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका में , वन विभाग की ओर से अनुपालन आख्या दाखिल कराते हुए अपील/रिट को समाप्त करने हेतु शपथ पत्र दाखिल किया जा सकें ।

क्र. सं.	परियोजना का नाम व हस्तान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल(हे.मे)	परियोजना से संबंधित लीज रेट की अवधि	बकाया लीज रेंट की बकाया धनराशि
1	एन0सी0एल0ककरी (185.84हे)	वर्ष 2012–13 से 2015–16तक	92920.00
2	एन0सी0एल0दुद्धीचुआँ एवं खड़िया (1305.00 हे)	वर्ष 2012–13 से 2015–16तक	644932.00
3	एन0सी0एल0बीना (258 हे.)	वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक	9562965.00
4	एन0सी0एल0 खड़िया (3.93 हे.)	वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक	1351705.00

5	एन0सी0एल0कृष्णशिला (235.99 हे.)	वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक	62115075.00
6	एन0सी0एल0बीना (21.61 हे.)	वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक	1296600.00
		योग–	75064197.00

(रू. सात करोड़ पचास लाख चौसठ हजार एक सौ सन्तानवे मात्र)

(ख) एन.सी.एल.की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा बकाया अभिवहन शुल्क की धनराशि जमा करने के संबंध में अद्यतन स्थिति ।

अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि रू 15,73,23,278 (रू. पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख तेईस हजार दौ सौ अठहत्तर मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/चेक तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के कार्यालय में जमा कर दिया जाय अन्यथा की स्थिति में किन्ही कारणो से धनराशि जमा न कर पाने की स्थिति में बैंक गारन्टी प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के नाम विना शर्तो का उल्लेख किये एन0सी0एल0 द्वारा जमा किया जाय ।

(ग) वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन –

नार्दन कोल फिल्ड्स लि0 ककरी परियोजना से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है जिसका निराकरण होने के पश्चात ही कोई भी वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दिया जाना राजकीय हित में उचित होगा ।

अतः नार्दन कोल फील्डस लि0 की कृष्णशिला परियोजना हेतु अवशेष बचे 128.849 हे. एवं बीना विस्तार हेतु 21.61 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दिये जाने के संबंध में आख्या उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय

(तुलसीदास)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या–76 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(तुलसीदास)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट